राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : ई/चिअ/एस–5712/2024/ दिनांक :

–:: आदेश ::–

एस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 5145/2022 डॉ. शिव कुमार, बायोलोजिस्ट, भरतपुर बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा दिनांक 20.02.2024 को निम्न प्रकार निर्णय पारित किया गया है, जिसका मुख्यांश निम्न प्रकार है:–

Accordingly, the present writ petition is allowed and the directions issued are as under:

A. The petitioner be treated back in service on the post of Biologist w.e.f.23.09.2009 under the respondent.
B. Since the petitioner has attained the age of Superannuation on 28-02-2014 , the respondent shall issue a formal order of his retirement w.e.f.28.02.2014 and he shall be granted all retiral benefits;
C. The respondents shall allow all service benefits to the petitioner including his pay fixation, seniority, promotion etc. in accordance with the relevant rules;
D. Since there is no fault on the part of the petitioner because the respondents have illegally deprived him from joining the duty back on 23.09.2009 after returning from the foreign assignment, he is held to be entitled for service benefits w.e.f. 23.09.2009;
E. The respondents shall issue requisite orders for treating the petitioner in service and retiring from service and so also the other benefits within a period of two months from the date of submitting a certified copy of this order.
F. The respondents shall also calculate the amount of salary and retiral benefits as referred to above within two months thereafter and shall pay all the arrears to the petitioner within next two months from the date of submission of a certified copy of this order."

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.02.2024 के विरूद्ध स्थाई समिति की बैठक दिनांक 03.05.2024 में नो अपील का निर्णय लिया गया है।

डॉ. शिव कुमार,(जन्म तिथि 01.03.1954) बायोलॉजिस्ट, भरतपुर, ने निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक ई–26/548 दिनांक 25.07.1977 की अनुपालना में दिनांक 10.10.1977 को बायोलॉजिस्ट के पद पर भरतपुर में कार्यग्रहण किया था तथा निदेशालय के आदेश क्रमांक ईजी/82/268 दिनांक 25.09.1982 को राज्य सरकार के पत्र क्रमांक एफ 8/20/एम.पी.एच/ग्रुप–2 दिनांक 10.09.1982 के द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग में चयनित बायोलॉजिस्ट के पद पर स्थाई किया गया।

राज्य सरकार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग के आदेश क्रमांक 4–1 (232) एमपीएच/ग्रुप–2/77 दिनांक 20.10.1982 (डीएमपीएचएस का पत्र संख्या 11.10.1982 ई 26/969 की अनुशंषा में) की अनुपालना में दिनांक 29.10.1982 को भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली (यूपीएससी से चयन होने के बाद) के लिये पुनः ई–26/269 दिनांक 11.10.1982 के अनुपालना में राज्य सरकार में लीयन रखते हुये उप सहायक निदेशक (एंटोमोलॉजी) के पद पर कार्य ग्रहण करने हेतु कार्यमुक्त किया गया।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अधीन साउदी अरब में चल रहे मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम में कार्य करने के लिये राज्य सरकार की अनुमति से एफ–1(223) एमपीएच/ग्रुप–2/77 दिनांक 08.07.1983 के निर्देशो में सहायक सचिव राज्य सरकार में लीयन रखते हुये स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा साउदी अरब के लिये विदेश प्रतिनियुक्ति पर कार्यमुक्त किया गया तथा यह अनुमोदन गृह विभाग भारत सरकार डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एण्ड एआर द्वारा दिनांक 01.07.1983 को किया गया।

RajKaj Ref
7651926

चिकित्सक दिनांक 22.09.2009 तक विदेश सेवा में लियन पर रहने के पश्चात दिनांक 23.09.2009 को विभाग में उपस्थिति प्रस्तुत करने के फलस्वरूप माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 20.02.2024 की पालना में कार्यग्रहण करने की अनुमति प्रदान करते हुए दिनांक 28.02.2014 को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर राज्यसेवा से एतद् द्वारा सेवानिवृत्त किया जाता है, साथ ही चिकित्सक को उनकी पूर्ण सेवा अवधि में देय वेतनमान, वरिष्ठता, पदोन्नति एवं पेंशन संबंधी समस्त परिलाभ देय होंगे।

नोटः—चिकित्सक के विरूद्ध विभागीय जांच बकाया नहीं होने का प्रमाण—पत्र जारी कराने की कार्यवाही पृथक से की जावेगी।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : ई/चिअ/एस—5712/2024/136 **दिनांक : 30/05/2024**

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदया, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप—2) विभाग, राज0,जयपुर।
4. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान—जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय।
6. उप विधि परामर्शी, मुख्यालय।
7. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन— भरतपुर।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर को भेजकर लेख है कि चिकित्सक के समस्त वेतन नियतन, बकाया परिलाभों एवं पेंशन स्वीकृति की कार्यवाही अपने स्तर से पूर्ण कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावें ।
9. अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, ए.टी.सी/डी.पी.सी./गोपनीय प्रकोष्ठ (राजपत्रित) मुख्यालय।
10. डॉ. शिव कुमार, बायोलॉजिस्ट, हाल— फ्लैट नं. 701, एसडीसी पोर्टिको बिल्डिंग, नन्दपुरी—बी, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर—302033।
11. प्रभरी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र विभाग की वैबसाईट पर आज ही अपलोड करावें।
12. निजी/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर

RajKaj Ref
7651926

Document certified by RAVI PRAKASH MATHUR <rpm272004@yahoo.co.in>.

Digitally Signed by RAVI PARKASH MATHUR
Designation : Director
Date :30-05-2024 06:45:38